Annexure-IV
MTS
(25)

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003−05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, अगस्त 4—अगस्त 10, 2019, शनिवार/श्रावण 13—श्रावण 19, 1941

No. 32] NEW DELHI, AUGUST 4—AUGUST 10, 2019, SATURDAY/SRAVANA 13— SRAVANA 19, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 247.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (क) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (चपरासी) भर्ती नियम 1981, (ख) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, वर्ग घ पद, भर्ती नियम, 1977, और (ग) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (दफ्तरी) भर्ती नियम, 1972 उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में बहु कार्य कर्मचारी वृंद (चपरासी, झाड़ू कश, फराश, माली, दफ्तरी, चौकीदार) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, बहु कार्य कर्मचारी वृंद (चपरासी, झाड़ू कश, फराश, माली, दफ्तरी, चौकीदार)(समूह ग पद) भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करने के लिए आवश्यक या समीचीन है, यह संघ लोक सेवा आयोग के साथ उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु कार्य कर्मचारी वृंद (चपरासी, झाडू कश, फराश, माली, दफ्तरी, चौकीदार)	29* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर.1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच *(यदि अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा पदों के मामले में भरी जाएगी, आयु-सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी) **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वी उत्तीर्ण होना चाहिए	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	**समूह 'ग' विभागीय / पुष्टि समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे):-** (1) कार्यालय प्रमुख, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - अध्यक्ष; (2) प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य; (3) कनिष्ट वैज्ञानिक अधिकारी, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य	लागू नहीं।

[फा.सं. डीएफएसएस/38/(1)/2016]

आर. के. सोनी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES)

New Delhi, the 1st August, 2019

G.S.R. 247.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (a) the Bureau of Police Research and Development (Peon) Recruitment Rules, 1981, (b) the Bureau of Police Research and Development, Group 'D' Posts, Recruitment Rules, 1977, and (c) the Bureau of Police Research and Development (Daftary) Recruitment Rules, 1972 except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff (Peon, Sweeper, Farash, Mali, Daftary, Chowkidar) in the Directorate of Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.—**

   (1) These rules may be called the Directorate of Forensic Science Services Multi-Tasking Staff (Peon, Sweeper, Farash, Mali, Daftary, Chowkidar) (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix .—** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc. .—**The method of recruitment to the said post, age- limit, qualifications and other matter connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of opinion that it is necessary to expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi-Tasking Staff (Peon, Daftary, Farash, Mali, Chowkidar, Sweeper)	29* (2019) *(subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial	Level-1 (Rs. 18000-56900)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 years and 25 years*. *In case of posts being filled up by all India Open Competition, it would be between 18 year and 27 years. **Note-1:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	Matriculation pass from a recognized Board	Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation:-** (1.) Head of Office, Directorate of Forensic Science Services – Chairman (2.) Administrative Officer, Directorate of Forensic Science Services – Member (3.) Junior Scientific Officer, Central Forensic Science Laboratory (CFSL), Directorate of Forensic Science Services – Member.	Not applicable.

[F. No. DFSS/38(1)/2016]

R. K. SONI, Under Secy.